

विविध विषयों पर बजरंग मुनि जी के महत्वपूर्ण विचार

1- द केरल स्टोरी कितना झूठ कितना सच

द केरल स्टोरी के नाम से एक फिल्म बहुत चर्चित हो रही है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इस फिल्म को सच बता कर उसके पक्ष में पूरी ताकत से खड़ी है तो विपक्ष भी उतनी ही ताकत से फिल्म को झूठ बता रहा है। दोनों के बीच में भारी टकराव और असमंजस है। मेरा केरल के संबंध में यह अनुभव है कि केरल की आबादी करीब पांच करोड़ हो सकती है। इनमें 54 प्रतिशत हिंदू, 26 प्रतिशत मुसलमान और 18 प्रतिशत ईसाई माने जाते हैं। दस वर्ष पहले की जनगणना में हिंदुओं का प्रतिशत 56 और मुसलमानों का 24 था। केरल देशभर का सबसे अधिक शिक्षित और विकसित प्रदेश माना जाता है। केरल की सेवाभावी लड़कियां पूरे देश भर में ईमानदारी से सेवा करते हुए देखी जा सकती है। भारत की आम जनता में केरल की छवि एक विकसित और स्वस्थ शिक्षित प्रदेश की है। पिछले चार-पांच वर्षों में केरल के विषय में यह बात भी सामने आयी कि पूरे देश की तुलना में केरल में ही कोरोना से सबसे अधिक लोग प्रभावित हुए। कोरोना का यह आंकड़ा शुरू से आज तक एक सरीखा बना हुआ है। केरल में कम्युनिस्ट सरकार है और विपक्ष में भी कांग्रेस है लेकिन पूरे देश में सबसे अधिक मृत्यु छुपाने का मामला भी केरल प्रदेश का है। कोरोना के मामले में झूठ बोलने में केरल सबसे आगे रहा। पूरे भारत से जितने लोग आई एस आई एस में शामिल होने विदेश गए उनका आंकड़ा सिर्फ केरल से ही 60 प्रतिशत है जबकि केरल की आबादी 3 प्रतिशत है। इन आतंकवादियों में भी महिलाओं की संख्या आधे से अधिक है।

स्पष्ट दिखता है कि ईसाई आबादी 18 प्रतिशत होने के कारण केरल शिक्षित और सेवा भाव के नाम से पूरे भारत में विख्यात है तो मुस्लिम आबादी 26 प्रतिशत होने के कारण केरल कोरोना और आई एस आई एस के लिए विख्यात है। यह सच्चाई भी साफ झलकती है कि केरल की सरकार कम्युनिस्ट होने के कारण वहां कोरोना से होने वाली मौत को छुपाया गया। द केरल स्टोरी कहानी नामक फिल्म सच है या झूठ है यह विषय महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि केरल में 'मुसलमानों की बढ़ती आबादी' 'कोरोना का संकट' और 'आंकड़े छिपाने की चालाकी'।

2- ईशनिंदा कानून गलत

पाकिस्तान में एक मौलाना की भीड़ ने पीट-पीटकर इसलिए हत्या कर दी कि उस व्यक्ति ने इमरान खान को हजरत पैगंबर की तरह ईमानदार बताया था। इमरान खान के भाषण के बाद उक्त मौलाना धन्यवाद दे रहे थे उसी समय उन्होंने इमरान की कुछ अधिक प्रशंसा कर दी और मुसलमानों का विरोध झेलना पड़ा। यहां तक कि पुलिस ने ईशनिंदा कानून के अंतर्गत मौलाना को गिरफ्तार कर लिया था। किंतु भीड़ ने उसे छुड़ाकर उसकी हत्या कर दी। इस तरह का धार्मिक उन्माद दुनिया भर के मुसलमानों में आम बात हो गई है। यदि कोई हिंदू इस प्रकार

गौ रक्षा के नाम पर किसी मुसलमान की हत्या कर दे तो उक्त हिंदू को आम जनता का समर्थन नहीं मिलता है क्योंकि दुनिया का हिंदू इस बात को महसूस करता है कि उसे कानून नहीं तोड़ना चाहिए। आज तक भारत के हिंदुओं का गोडसे को कहीं कोई समर्थन नहीं मिल सका। लेकिन पाकिस्तान में उक्त मौलाना की हत्या के विरोध में कोई आवाज नहीं उठ रही है। भारत के मुसलमानों को यह बात सोचना चाहिए कि पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है।

मेरे विचार से तो ईशनिंदा कानून ही गलत है। इस कानून के साथ-साथ यदि कानून तोड़कर भीड़ हिंसा करने लगे तो ये और भी कई गुना अधिक गलत है और यदि इस प्रकार की हिंसा इमरान समर्थक मुसलमानों ने ही की, तो यह हिंसा तो निंदनीय और मूर्खतापूर्ण भी है। भारत के मुसलमानों को इस प्रकार की घटनाओं से सबक सीखना चाहिए। धर्म को कभी भी उन्माद की दिशा में नहीं जाना चाहिए।

3- विवाह पद्धति

मुख्य विवाह पद्धति पर चिंतन-मंथन के बाद यह बात सामने आई कि विवाह के चार उद्देश्य होते हैं 1) शारीरिक इच्छापूर्ति, 2) वंश वृद्धि, 3) सहजीवन की ट्रेनिंग और 4) वृद्धों के ऋण से उत्तीर्ण होना। यह चारों उद्देश्य पूरे करने के लिए हम विवाह बंधन में बंध जाते हैं। यह बात अवश्य समझ में आई की देर से विवाह परिस्थिति अनुसार किया जा सकता है सिद्धांत के अनुसार नहीं क्योंकि विवाह यदि समय से हो जाए तो अच्छा है। अधिक विलंब होने से विवाह के सभी उद्देश्यों में नुकसान होता है इसलिए विवाह की उम्र परिवार के लोगों को परिस्थिति अनुसार तय करनी चाहिए। विवाह की तीन शर्तें होती हैं पहली वर-वधु की स्वीकृति दूसरी परिवार की सहमति तीसरी समाज की अनुमति। जो विवाह वर-वधु की स्वीकृति से नहीं होते वह अच्छे विवाह नहीं माने जाते, जो प्रेम विवाह होते हैं वह भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। आदर्श विवाह वही है जिसमें तीनों शर्तें पूरी हो हमें विवाह की आवश्यकता और शर्तों पर ध्यान देना चाहिए।

वर्तमान समय जो विवाह की उम्र जबरजस्ती बढ़ाई जा रही है यह ठीक नहीं है। विवाह की उम्र आवश्यकता को देखते हुए कम की जा सकती है और बढ़ाई जा सकती है। इस संबंध में कोई कानून नहीं होना चाहिए। मैं अपने पारिवारिक अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। ऐसी बात भी सुनी जाती है कि जल्दी विवाह करने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है इससे सहमत नहीं हूँ।

4- पशु क्रूरता अधिनियम एक पक्षीय- घातक

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जली कुट्टू या बैलगाड़ी की प्रतिस्पर्धा बंद नहीं होनी चाहिए। जली कुट्टी के मामले में जो पशु क्रूरता कानून का उपयोग किया गया है वह ठीक नहीं है। पशु क्रूरता अधिनियम एक पक्षीय है उसका बहुत सोच समझकर प्रयोग करना उचित है। मैं

भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहा था कि जीव दया वाले बहुत गलत कर रहे हैं। जीव दया कानून का दुरुपयोग बहुत गलत है। चूहा मार दे, कुत्ता मार दे या हम कुछ गाय-भैंसों को गाड़ी में चढ़ा कर ले जाए और बीच में मर जाए तो जीव दया कानून लागू हो जाता है। बहुत से बंदरों को लोग नचा कर अपना रोजगार चलाते हैं तो क्या गलत है। मेनका गांधी पागल हो गई है। मेरे विचार से जीव दया कानून का दुरुपयोग बहुत हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वह बहुत ठीक है जीव दया के जो पक्षधर हैं उनको इस विषय पर सोचना चाहिए

5- सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ गैरकानूनी न कि असंवैधानिक

दिल्ली में संविधान पीठ के द्वारा दिल्ली सरकार के अधिकारों के पक्ष में दिए गए निर्णय को अध्यादेश के द्वारा कैसे बदला जा सकता है। सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के निर्णय को असंवैधानिक नहीं कहा है बल्कि गैरकानूनी कहा है। केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके कानून को बदल दिया तो इसमें गलत क्या है? लगभग एक वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला दिया। अब बड़ी बेंच ने फैसले को पलट दिया और सरकार ने फिर से कानून में बदलाव कर दिए। अरविंद केजरीवाल स्वयं भी यह प्रयत्न कर रहे हैं कि सरकार के निर्णय को राज्यसभा में पास होने से रोक दिया जाए, यदि राज्यसभा में भी यह प्रस्ताव पास हो जाता है तब सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं दे पाएगा। यदि सुप्रीम कोर्ट प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बना ले तो संविधान सम्मत कानून बनाने से सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकता है। अरविंद केजरीवाल दोनों दिशाओं में प्रयत्न कर रहे हैं वे जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब अध्यादेश के खिलाफ कुछ कर नहीं पाएगा, फिर भी न्यायालय से वे निवेदन कर रहे हैं। दुसरी ओर केंद्र सरकार भी न्यायालय से यह निवेदन कर रही है कि कोई बड़ी बेंच इस मामले पर सुनवाई करे। मैंने इस संबंध में जब लोगों को विस्तार से समझाया तब उन्हें यह पता चला कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ गैरकानूनी घोषित किया गया था, असंवैधानिक नहीं माना गया। गैरकानूनी और असंवैधानिक के बीच बहुत फर्क होता है।

6- झीरम घाटी हत्याकांड के बाद वामपंथ को प्रोत्साहित करना कांग्रेस की भूल

दस वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड में सलवा जुडूम के प्रमुख महेन्द्र कर्मा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्या चरण शुक्ला सहित छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 32 बड़े-बड़े नेता एक साथ मारे गए थे। इस हत्याकांड का नेतृत्व महिलाएं कर रही थी और महिला नक्सलियों ने ही अधिक बर्बरता दिखाई। सलवा जुडूम का नेतृत्व कांग्रेस नेता कर रहे थे तथा भाजपा सरकार का भी उसको समर्थन प्राप्त था। केंद्र की कांग्रेसी सरकार भी नक्सलवाद से निपटने में सलवा जुडूम की उपयोगिता समझ रही थी। लेकिन उस समय के सुप्रीम कोर्ट ने बस्तर के नक्सलियों का साथ दिया और उस सलवा जुडूम पर रोक लगा दी। परिणाम यह हुआ कि नक्सलियों ने चारों तरफ से घेर कर छत्तीसगढ़ के प्रमुख कांग्रेसियों की हत्या कर दी। सलवा जुडूम का हिंदी में अर्थ होता

है शांति पथ। इस आंदोलन में नक्सल विरोधी ग्रामीण पुलिस का समर्थन लेकर नक्सलियों से सीधा टकराते थे। इस लिए नक्सली महेंद्र कर्मा को सबसे अधिक घातक मान रहे थे। महिलाओं को इसलिए आगे किया गया कि पुलिस वाले महिलाओं पर सीधा आक्रमण नहीं कर पाएंगे और महिलाएं पूरी तरह हथियारबंद थी परिणाम देश के सामने है।

दस वर्ष बीतने के बाद भी बस्तर अभी तक नक्सल नियंत्रित नहीं हो पाया है। यदि उस समय सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दिया होता तो बस्तर से नक्सलवाद कब का खत्म हो गया होता क्योंकि नक्सलवाद विरोधी आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा था। लेकिन सबका दोष भी कांग्रेस सरकार को जाता है, जिन्होंने न्यायपालिका में वामपंथियों को ऊंचे स्थानों पर बिठा दिया था। मैं समझता हूँ कि उस समय की सरकारों ने वामपंथ को प्रोत्साहित करके भूल की थी।

7- वर्तमान परिदृश्य में महिला उत्पीड़न एक झूठ

भावना झा एक सुप्रसिद्ध लेखिका है, उनका आंशिक राजनीति से भी संबंध है। उन्होंने 17 मई 2022 को नव भारत अखबार में एक लेख लिखकर पुरुषों के द्वारा किए गए अत्याचार के विरुद्ध महिलाओं की परेशानियों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके अनुसार पुरुष बहुत कम काम करते हैं और महिलाएं ऑफिस का काम भी करती हैं और परिवार के भी सारे कार्य करने पड़ते हैं। इसके बाद भी महिलाओं पर पुरुष हुकुम चलाते हैं यही वास्तव में महिला उत्पीड़न है।

मेरा अनुभव इससे कुछ अलग है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर के जिस कॉलोनी में रहता हूँ उस कॉलोनी में करीब 150 घर हैं। इनमें 400 महिलाएं रहती हैं। किसी भी परिवार में ऐसा संकट नहीं है जैसा भावना जी के साथ उनके परिवार में किया जा रहा है। भावना झा जी के परिवार के लोगों से मेरा निवेदन है कि वे भावना जी की कठिनाइयों को समझें। महिला और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए हैं। दोनों में तालमेल आवश्यक है तभी परिवार ठीक से चल पाता है। भावना जी के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है और मैं अन्य पाठकों से भी कहना चाहता हूँ कि भावना जी के साथ हो रहे पारिवारिक अत्याचार का खुल करके निंदा करें। देश में 99 प्रतिशत परिवार यदि मिलजुल कर रहते हैं तो 1 प्रतिशत परिवारों को यह बात सीखनी चाहिए कि परिवार में सामूहिकता का ही महत्व है।

सुनिए सबकी, करिए मन की

साम्यवाद और वामपंथ

यह सही है कि साम्यवाद दुनिया की सबसे अधिक खतरनाक विचारधारा है। मोटे तौर पर देखने पर इस्लाम सबसे खतरनाक दिखता है किन्तु इस्लाम एक खतरनाक संगठन मात्र है। इस्लाम में विचार नामक कोई तत्व होता ही नहीं ? इस्लाम तो मात्र वैसा ही है जिस तरह भारतीय वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय माने जाते हैं, लेकिन साम्यवाद उस तरह संगठन मात्र नहीं। इस्लाम दुनिया में मानवता रूपी कमजोरी के कारण फलता फूलता रहा और दुनिया जिस दिन मानवता में संशोधन करने के लिये तैयार हो जायेगी उसी दिन इस्लाम या तो बदल जायगा या समाप्त हो जायगा। जबकी वामपंथ दुनिया की दया पर टिका हुआ नहीं है बल्कि एक समानान्तर शक्ति के रूप दुनिया को चुनौती दे रहा है। अनुभव बताता है कि यदि कोई मुसलमान अपना धर्म अर्थात् संगठन बदलकर हिन्दू या इसाई हो जाये तो उसमें पर्याप्त बदलाव संभव है, किन्तु किसी साम्यवादी को आप आसानी से अन्यत्र एडजस्ट नहीं कर सकते साम्यवादी दुनिया में सबसे अधिक चालाक माने जाते हैं। साम्यवादियों का अप्रत्यक्ष रूप से ब्रेन वाश हो जाता है जबकि इस्लाम मानने वालों में आम तौर पर ब्रेन होता ही नहीं।

दुनिया में साम्यवाद की उत्पत्ति भारत के वामपंथ और शासन करने की भूख को मिलाकर हुई। प्राचीन समय में भारत में वामपंथ एक प्रभावी विचार के रूप में था। भारत के वामपंथी पंचमकार को अपनी जीवन पद्धति का आधार मानते थे। ये पंचमकार थे मांस, मछली, मैथुन, मुद्रा और मद्य। दक्षिणपंथी इन पांच के उपयोग को अच्छा नहीं मानते थे और वामपंथी इन पांचों को अपनी सफलता को महत्वपूर्ण अंग मानते थे। वामपंथी परिवार व्यवस्था समाज व्यवस्था के किसी भी प्रकार के बंधन को नहीं मानते थे। कच्चा मांस खाने, लाशों के साथ खेलने या मैथुन के लिये मां बहन के संबंधों को छोड़ने से वामपंथी कभी परहेज नहीं करते थे। वामपंथ के अतिवादी लोगों को हम बचपन में औघड़ या तांत्रिक भी कहते थे। अधिकांश वाममार्गी बहुत उच्च स्तर के विद्वान होते थे। पुराने जमाने में अधिकांश ब्राह्मण ही वामपंथ की दिशा में सफल होते पाते थे। आज भी भारतीय धर्मग्रन्थों में ब्राह्मण के लिए दर्शन शास्त्र का ज्ञान महत्वपूर्ण माना जाता है। दर्शन शास्त्र बौद्धिक विकास के चरम की दिशा में ले जाता है जहाँ यह स्पष्ट दिखता है कि ईश्वर कुछ भी नहीं है। वामपंथी समाज व्यवस्था को अस्वीकार करके नास्तिक बन जाता है जबकि अन्य ब्राह्मण ईश्वर के अस्तित्व को समाज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग मानकर शेष समाज में ईश्वर के प्रति मान्यता का भाव पैदा करते हैं। समाज व्यवस्था को मानने वाले समाज में अपराधों के विरुद्ध भय पैदा करने के लिये ईश्वर के अस्तित्व को महत्वपूर्ण मानते हैं जबकि वामपंथी ऐसा नहीं मानते।

भारत में वामपंथ के प्रमुख के रूप में आचार्य चार्वाक को माना जाता है जो नास्तिक तो थे ही और नैतिकता की तुलना में भौतिकता के प्रबल पक्षधर थे। जहाँ समाज व्यवस्था में ऋण लेने को अपनी बड़ी असफलता माना जाता है वहीं चार्वाक सिद्धान्त 'ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत' के आधार पर पहचाना जाता है। भले ही प्राचीन समय में ब्राह्मण ही सर्वोच्च विद्वान होते थे लेकिन

कालान्तर में जब वर्ण व्यवस्था विकृत होकर जन्म के आधार पर चलने लगी तब अन्य वर्णों के परिवारों में उच्च स्तरीय विद्वान निकलने लगे। यही कारण है कि वाममार्गी भी ब्राह्मणत्व से बाहर निकलकर विद्वता और नास्तिकता को अपना आधार बनाने लगे। धीरे धीरे अन्य वर्णों में भी विद्वान निकलने लगे।

भारत में वाममार्गीयों ने कभी राजनैतिक सत्ता का सपना नहीं देखा किन्तु साम्यवाद ने इस वाममार्ग को सत्ता का आधार बना दिया। बुद्ध ने सबसे पहले भारत में नास्तिकता का महत्व समझाया इसलिये दुनिया में साम्यवाद का विस्तार वहीं आसानी से हुआ जहाँ बुद्ध का नास्तिकवाद जड़ें जमा चुका था। बुद्ध पंचमकार के समर्थक नहीं थे लेकिन साम्यवाद ने बुद्ध की नास्तिकता, भारतीय वामपंथ के पंचमकार तथा अपनी सत्ता लोलुपता को मिलाकर साम्यवाद रूपी एक नया पंथ दुनिया के सामने रख दिया। साम्यवाद बहुत तेजी से दुनिया में बढ़ा क्योंकि नैतिक पतन के सभी आकर्षण इस सिद्धान्त के मुख्य आधार थे। इसमें भौतिक उन्नति को एकमात्र आधार बनाया गया। समाज व्यवस्था तथा ईश्वर के भय को पूरी तरह अस्वीकार किया गया। ईश्वर का स्थान तानाशाही शासन व्यवस्था ने ग्रहण किया। परिवार व्यवस्था को लगातार कमजोर किया गया। इस साम्यवादी तूफान के सामने दुनिया की समाज परिवार ईश्वरवादी नैतिक प्रधान सोच ने घुटने टेक दिये। पश्चिम ने धीरे धीरे इस साम्यवादी विचार धारा के साथ समझौता किया तब तक भारत से बुद्ध धर्म विदा ले चुका था। इसलिये भारत नास्तिकता या भौतिकवाद से बचा रहा। भारत गुलाम भी रहा तो मुसलमानों और इसाइयों का। पश्चिम ने भी साम्यवाद से मुकाबला करने के लिये समाजवाद रूपी एक तीसरा विचार दुनिया के सामने रखा। जो साम्यवाद का एक संशोधित परिवर्धित स्वरूप था। गुलामी काल में तो भारत में समाज बहुत आगे आया किन्तु स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू साम्यवाद से बहुत प्रभावित हुए। दूसरी ओर गांधी पूरी तरह साम्यवाद विरोधी थे इसलिये पण्डित नेहरू ने बड़ी चालाकी से साम्यवादी विचार का इस्लाम के साथ समझौता करा कर भारत के समक्ष परोस दिया। इस नेहरू-वाद में भौतिकता, अनीश्वरवाद और सत्ता लोलुपता का एक अद्भुत मिश्रण था। यही मिश्रण बाद में जे एन यू के रूप में भौतिक स्वरूप ग्रहण किया। जे एन यू ने अपने विस्तार के लिये पंचमकार के भारतीय वामपंथ तथा साम्यवाद के सत्ता लोलुपता का खुलकर उपयोग किया। धीरे धीरे भारत में हिन्दुत्व की आवाज मजबूत हुई और सत्तर वर्षों के बाद नेहरू विचारधारा को मोदी विचारधारा से चुनौती मिली। अब भारत में साम्यवाद तो भौतिक धरातल पर कमजोर हुआ, किन्तु नेहरूवाद अभी भी मोदीवाद को जमकर चुनौती दे रहा है। मोदी विरोध के नाम पर सत्ता लोलुप विपक्ष नेहरू परिवार की हां में हां मिलाने को मजबूर है। भारतीय समाज व्यवस्था जहाँ भौतिकता को अधिक महत्व देती है वहीं नेहरूवाद भौतिकता का प्रबल पक्षधर है। उपभोक्तावाद ही चार्वाक का सिद्धान्त रहा है और यही उपभोक्तावाद नेहरूवाद के भी मूल में है। आज भी राहुल गांधी उत्पादन बढ़ाने या आत्मनिर्भर भारत की जगह सब कुछ बांट दो सब सस्ता कर दो की नीति को महत्व दे रहे हैं। उत्पादन बढ़े उपभोग कटे यही आत्म निर्भरता का मूल तत्व होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़ी बेशर्मी से आयात भले ही बढ़े लेकिन आम लोगों को सब चीजें सस्ती मिले यही मांग दुहराती है। समाज को जातिवाद में बांटना इनकी 'फूट डालो राज करो' वाली नीति का प्रमुख शस्त्र है। सत्ता ही सर्वोच्च

सफलता है यही साम्यवाद को चरम सफलता मानी जाती है। आज नेहरू परिवार उसी दिशा में लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ने बुद्ध के नास्तिकतावाद को चुनौती दी तो वर्तमान साम्यवाद के नये संस्करण नेहरूवाद को भी भारत ही सफल चुनौती देगा। निकट भविष्य में ऐसा दिखता है कि भारत वामपंथ, साम्यवाद और नेहरूवाद को एक साथ निपटाने में सफल होगा।

: मैंने पिछले 4 दिनों तक साम्यवाद की उत्पत्ति दुनिया की सबसे खतरनाक विचारधारा तथा अन्य साम्यवाद से जुड़े विषयों पर लेख लिखें। बहुत अच्छी चर्चा हुई। आचार्य पंकज ने मुझे फोन करके कहा कि आपका लेख बहुत गंभीर है लेकिन अंतिम पैराग्राफ जोड़कर आपने लेख की गंभीरता को मिट्टी में मिला दिया है। मैं समझता हूँ कि यदि अंतिम पैराग्राफ ना हो तो लेख गंभीर तो हो जाएगा लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। हम सिर्फ साम्यवाद को परिभाषित नहीं कर रहे हैं बल्कि उसका समाधान भी बता रहे हैं। हम उत्तर पथ के पथिक हैं वामपंथ और दक्षिणपंथ के नहीं। यदि अंतिम पैराग्राफ जिसमें मैंने नेहरू और मोदी की विचारधारा के फर्क को स्पष्ट किया है वह अगर ना लिखा जाए तो लेख की उपयोगिता विद्वता तक सीमित हो जाएगी सामान्य लोगों के लिए यह लेख उपयोगी नहीं होगा इसलिए मैंने अनावश्यक होते हुए भी अंतिम पैराग्राफ को इस लेख के साथ जोड़ा है क्योंकि मैं विद्वता के लिए नहीं यथार्थ के लिए माना जाता हूँ।

साथियों की कलम से :

न्याय और व्यवस्था

सामान्य व्यक्ति न्याय संगत दशा में जीवन निर्वाह करना चाहता है क्योंकि यही इसके सन्तोष का कारण है। दूसरी ओर स्वार्थी, निरंकुश तथा उदण्ड स्वभाव का व्यक्ति अक्सर समाज के न्याय संगत वातावरण को ध्वस्त कर देता है, इसलिए समाज ने निरंकुश तथा उदण्ड व्यक्ति पर नियन्त्रण के लिए व्यवस्था का सृजन किया है। यद्यपि अब तक न तो मानव-सभ्यता द्वारा विकसित किसी भी व्यवस्था द्वारा समाज के पटल से वर्चस्ववाद का उन्मूलन हो सका है और न पूरे विश्व में कहीं ऐसा हुआ है कि मानव सभ्यता ने ऐसी लोकतन्त्रिक या अन्य किसी व्यवस्था पद्धति का निरूपण किया हो जिससे व्यवस्था के तानाशाही (व्यक्ति केन्द्रित) स्वरूप का उन्मूलन हो जाए! इस दशा में यह प्रश्न भी पैदा होता है कि जब तक व्यवस्था के ढांचे में तानाशाही (शक्ति-केन्द्रीयकरण) का दोष व्याप्त है तब तक व्यवस्था न्यायकारी कैसे हो सकती है? लेकिन फिर भी व्यवस्था के चरित्र के विषय में यह कथन सिद्ध है कि इसके निर्माण का अभिप्राय व्यक्ति को न्याय प्राप्त कराना है। क्योंकि ऐसा नहीं दर्शाया जाएगा तो व्यवस्था के निर्माण का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा! इस विषय में यह भी सिद्ध है की दुनिया में बुरी से बुरी व्यवस्था का निर्वाहक भी अपने औचित्य को न्यायकारी सिद्ध करने में लगा रहता है और फिर यह प्रश्न भी पैदा होगा कि व्यवस्था के अभाव में सभ्यता के प्रबन्ध का क्या अर्थ रहेगा और यह कैसे होगा?

क्योंकि व्यवस्थागत प्रबन्ध ठीक हो तो एक ओर यह स्वतन्त्रता के उपभोग का सरलीकरण करता है वहीं दूसरी ओर व्यक्ति तथा व्यवस्था को उच्छृंखल तथा अराजक होने से रोकता है। इसलिए सामान्य व्यक्ति व्यवस्था के हर प्रकरण से न्याय की प्राप्ति की ही अभिलाषा करता है।

वस्तुतः हर क्षण समाज को न्याय प्राप्त कराने को उद्यत व्यवस्था-पद्धति ही समाज में शान्ति की स्थापना का मूल कारण सिद्ध हो सकती है। लेकिन पुनः यही प्रश्न पैदा होता है कि मानव सभ्यता के इतिहास में स्थापित व्यवस्था का ऐसा कोई प्रारूप सिद्ध नहीं होता जो अपने निर्माण की कसौटी पर खरा उतरे! इसका दुष्परिणाम यह है कि ऐसी दशा में पीड़ित समाज (व्यक्ति), व्यवस्था की अपेक्षा किसी अन्य से न्याय की अभिलाषा करने लगता है। जब समाज, व्यवस्था से न्याय प्राप्ति की आशा छोड़ देता है तो इसके फलस्वरूप वर्चस्ववाद, व्यक्तिवाद, वर्ग संघर्ष, अवसरवाद और राजकीय अराजकता का वातावरण पनपता है। आधुनिक समाज ऐसी दशा को प्राप्त हो चुका है। व्यवस्था का निर्माता और उपभोक्ता अर्थात् समाज यह तय ही नहीं कर पा रहा है कि वह न्याय की प्राप्ति के लिए किसे उत्तरदायी माने! व्यवस्था को, इसे चलाने वाले को या किसी अवसर विशेष पर व्यवस्था के विरुद्ध जाकर समाज को न्याय प्राप्त कराने वाले को!

इस दशा का विश्लेषण हम एक अन्य दृष्टिकोण के आधार पर भी कर लेते हैं। वस्तुतः व्यवहार जगत का सच यह है कि सामान्य आदमी को न्याय किसी कानून को तोड़ने से प्राप्त हो अथवा कानून के पालन करने से, इसका उसके लिए कोई महत्व नहीं होता है। मैं पुनः कहूँगा कि ऐसा तब होता है जब व्यवस्था अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही होती है लेकिन समाज को ऐसा होने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि लोगों को त्वरित न्याय प्राप्त हो जाता है और सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि एक स्वयंभू, उदण्ड एवं वर्चस्ववादी सत्ता का उन्मूलन किसी वैसी ही इकाई के द्वारा होता है जैसी से समाज पीड़ित होता है। ऐसी घटना के घटते समय लोगों को लगता है कि उसे एक उदण्ड तथा वर्चस्ववादी व्यक्ति या व्यवस्था से मुक्ति मिल गयी है लेकिन कुछ समय बाद यह पाया जाता है कि न्याय का वह प्रदाता ही समाज को अपनी मर्जी से चलाना चाहता है अर्थात् व्यक्ति तथा समाज के प्राकृतिक स्वरूप पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। मानव सभ्यता के विकास का क्रम चाहे जितना भी उन्नत हो गया है लेकिन समाज की व्यवस्था न्याय की गरिमा के अनुसार यदा-कदा ही स्थापित हो सकी है। न्याय, व्यवस्था की मौलिक अवधारणा है और कोई भी मानव कृत व्यवस्था इस दृष्टिकोण से परे नहीं हो सकती है अथवा न्याय के अस्तित्व के अभाव में किसी व्यवस्था के संयोजन का प्रयास ही निरर्थक है। लेकिन हमारी व्यवस्था में इस गुण का निरन्तर प्रवाह नहीं मिलता है। समाज को न्याय प्राप्ति के निरन्तर प्रवाह के अभाव में कई बार व्यवस्था चलाने वाले लोग अथवा कोई अन्य, व्यवस्था प्रणाली के विरुद्ध होकर जब किसी अपराधी को दण्ड दे देते हैं तो इससे समाज अथवा पीड़ित को सन्तोष मिलता है। उत्तर प्रदेश में जब कानून के बाहार जा कर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या हुई तो देश की अधिकांश जनता ने इसे न्याय संगत ठहरा दिया। देश-दुनिया में ऐसी अनेक घटनाएँ होती रहती हैं और समाज इन्हे ठीक ठहराता रहता है। लेकिन सच तो यही है कि ऐसे प्रयास से समाज किसी एक उदण्ड व्यवस्थापक या तानाशाह से मुक्ति

पाता है तो दूसरे का गुलाम बन जाता है। मेरे विचार से न्याय की स्थापना का यह प्रयास स्वयं न्याय की अवधारणा के ही विरुद्ध है। क्योंकि यह दशा मानव कृत व्यवस्था के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लगा देती है! समाज को इस दशा की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए।

वस्तुतः न्याय के सिद्धान्त की समीक्षा के दायरे में न केवल किसी देश की न्यायपालिका और उसकी व्यवस्था का सम्पूर्ण स्वरूप आता है बल्कि न्याय की गरिमा यह है कि समाज की संरचना ही न्याय संगत होनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि न्याय का अभिप्राय केवल माफियाओं, अपराधियों और भ्रष्ट लोगों को दण्डित करके ही पूरा नहीं हो जाता है बल्कि प्रश्न तो यह है कि किसी सार्वजनिक व्यवस्था के रहते समाज विरोधी लोग व्यवस्था के समानान्तर अपनी वर्चस्ववादी धारणाओं को एक अनावश्यक व्यवस्था के रूप में कैसे स्थापित कर देते हैं? समाज की जीवन प्रणाली पर ऐसे लोगों के कृत्यों का बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अनेक बार आम आदमी इनकी प्रताड़ना से मुक्ति को ही न्याय के रूप में स्वीकार कर लेता है। यद्यपि यह किसी विशेष परिस्थिति में ठीक हो सकता है लेकिन इस विषय में दूर तक दृष्टि डालना आवश्यक है! क्योंकि किसी व्यवस्था के संरक्षण में यदि अपराधी पनपते हैं तो यह व्यवस्था की असफलता है। इस विषय में यह कहना तर्क संगत ही है कि युद्ध, सभ्यताओं के संघर्ष, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक संघर्ष अर्थात् जहाँ तक भी वर्चस्ववाद का विस्तार होता है, ऐसा होने के लिए किसी न किसी प्रकार मानव कृत व्यवस्था ही दोषी होती है। मैं इस विषय का यह पटाक्षेप करना चाहूंगा कि व्यवस्था पर व्यक्ति का नहीं समाज का नियन्त्रण होना चाहिए और समाज की संरचना अतीत से मार्गदर्शन तो पाये लेकिन यह यथार्थहीन कुटिलता को सभ्यता के विकास का आधार न बनाए।

लेखक— नरेन्द्र सिंह 9012432074

कार्यक्रम :

देश में बने संविधान मंथन समिति : बजरंग मुनि

रविवार 28 मई को दिल्ली में संविधान मंथन समिति ने संविधान पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की। इस गोष्ठी में प्रमुख वक्ता के रूप में देश के प्रमुख संविधान विद राम बहादुर जी राय, जितेंद्र जी बजाज तथा अशोक गाड़िया जी शामिल थे। कुछ कॉलेजों के प्रोफेसर ने भी अपनी बात रखी। मुख्य विषय यह था कि क्या भारत में एक नई संविधान सभा बननी चाहिए। राम बहादुर राय जी ने सैद्धांतिक रूप से तो सहमति व्यक्त की लेकिन व्यावहारिक धरातल पर यह बात रखी कि नई संविधान सभा एक अनंत निर्णय का मार्ग खोल देगी जो किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायक नहीं होगा बल्कि नए-नए आंदोलनों के मार्ग खोल देगा। मैंने भी अपने विचार रखे और राय साहब की चिंताओं से सहमति व्यक्त की, लेकिन मेरा यह सुझाव था कि लोकतंत्र में तंत्र को संविधान ही नियंत्रित करता है। ऐसी परिस्थिति में संविधान में किसी भी प्रकार के

संशोधन या बदलाव के अंतिम अधिकार तंत्र को नहीं दिए जाने चाहिए। तंत्र की मनमानी पर कोई न कोई चेक की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। तंत्र को मैनेजर की भूमिका में रहना चाहिए प्रतिनिधि की भूमिका में नहीं। अन्य वक्ताओं ने भी इस बात से सहमति व्यक्त की कि कोई न कोई ऐसी व्यवस्था अवश्य बननी चाहिए। ऐसी व्यवस्था क्या हो, कैसे हो? इस पर तो विचार किया जा सकता है किंतु ऐसी किसी व्यवस्था को आवश्यकता अनिवार्य है।

कार्यक्रम के आयोजक ऋषि द्विवेदी, प्रवीण शर्मा तथा नवीन शर्मा जी से निवेदन किया गया कि वे बैठकर संविधान मंथन समिति का दो महीने के भीतर एक संस्थागत स्वरूप तैयार करें। हर दो-तीन महीने में संविधान मंथन के कार्यक्रम अलग-अलग स्थानों पर या दिल्ली में अवश्य आयोजित हो। इस योजना का मुख्य दायित्व इन तीनों लोगों को दिया गया राम बहादुर जी राय, मै बजरंग मुनि और मेवाड़ ऑफ कॉलेज प्रमुख अशोक गाड़िया जी तथा अन्य साथियों ने भी इस समिति में सहयोग का वचन दिया। इस तरह देश भर में भारतीय संविधान पर व्यापक विचार मंथन की पृष्ठभूमि तैयार करने के बाद यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

प्रेमनाथ गुप्ता जी का जीवन परिचय -

मेरा जन्म 12 जनवरी 1960 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में हुआ। 1980 में मेरी शादी हुई, लेकिन मेरे काम में मन न लगने के कारण मेरे परिवार वालों ने मुझे अलग कर दिया जिससे मुझे, परिवार और समाज के बीच बहुत संघर्ष करना पड़ा। यहां तक कि कई बार मुझे भूखा भी रहना पड़ता था। इतना कष्ट होने के बावजूद भी कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव और टगी नहीं किया। मेरे पास नैतिकता और ईमानदारी ही मेरी मूल पूंजी थी, जो कम्युनिष्ट से होने के कारण ताउम्र बची रही। मैंने भगत सिंह की लिखी किताब "मैं नास्तिक क्यों हूँ" पढ़ा और बचपन से ही नास्तिक हो गया। मेरे हिसाब से धर्म व्यक्तिगत होता है और आस्था पर टिका होता है। इसीलिए यहां बहस की कोई गुंजाइश नहीं होती। बचपन में ही मैंने अनुभव कर लिया था कि समाज में गैर बराबरी है, आर्थिक असमानता तो थी ही। वर्ण व्यवस्था के चलते जो समाज में ऊंच-नीच, छुआछूत थी उसने मुझे काफी अंदर से झकझोर दिया था। व्यक्ति के स्वभाव में स्वार्थ एवं हिंसा लगातार बढ़ता जा रहा था। बचपन में ही इन समस्याओं की उत्पत्ति के कारण और समाधान पर मैंने चिंतन-मंथन करना आरंभ कर दिया। इस संबंध में मैंने अपने मित्रों के साथ चिंतन के साथ प्रयोग भी किये और धीरे-धीरे इस कार्य का दायरा और मेरा अनुभव दोनों बढ़ता गया। इसी अनुभव विस्तार के क्रम से उस दौर में देश में इंडियन पीपुल्स फ्रंट 'आईपीएफ' का गठन शुरू हुआ। यह दौर था वर्ष 1981-82 हम उस संगठन से इस विश्वास से जुड़ गए कि समाज में निश्चित तौर पर अच्छा बदलाव होगा। आईपीएफ में लगभग एक दशक बिताने के बाद 1991 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 'आरपीआई' के टिकट पर मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा, उस चुनाव में बाबा साहब डाक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र प्रकाश राव अंबेडकर गाजीपुर के लंका मैदान में चुनाव प्रचार करने आए थे। इसके बाद मैं किसी एक संगठन या पार्टी का सदस्य नहीं बना। वैसे वर्ष 1981 से लेकर 1991 तक भाकपा माले जो उस समय भूमिगत

पार्टी थी उनसे जुड़ा रहा और उसके पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के संपर्क में बना रहता था। उन लोगों का मेरे घर पर भी आना जाना लगा रहता था। हालाँकि उनकी बातें मुझे अच्छी लगती थी तब भी मैं ठीक से ना उन लोगों के बारे में और न ही पार्टी के बारे में कोई साफ समझ बना पाया। मेरा पार्टी के कार्यक्रमों में आना जाना भी यदाकदा लगा रहता था। फिर वर्ष 2000 से लेकर अब तक एक स्वतंत्र सामाजिक आंदोलनकारी के रूप में सक्रिय रहा। इस दौरान देश भर में जहां भी आंदोलन होता उसमें भाग लेने का भरसक प्रयास करता था। देश के बड़े-बड़े आंदोलनों में व उसके नेताओं के संपर्क में रहने की दिनचर्या हमारी अभी भी बनी हुए है।

इसी क्रम में वर्ष 2004 मुंबई में वर्ल्ड सोशल फोरम (विश्व सामाजिक मंच) का अधिवेशन हुआ, जिसका उद्घाटन नेल्सन मंडेला ने किया, उसमें दुनिया भर के नोबेल पुरस्कार व मैग्सेसे पुरस्कार विजेता ने भाग लिया था। यहां तक कि उस सम्मेलन का उद्देश्य था कि 'क्या एक नई दुनिया बनाई जा सकती है'। फिर एशियन सोशल फोरम जो हैदराबाद में हुआ था में भी शामिल हुआ। इस तरह के आयोजनों में शामिल होना सुखद तो था हो, मेरी समझ लगातार बढ़ती जा रही थी और इस तरह के कार्यक्रमों का महत्व भी मुझे समझ आने लगा था।

इसी दौरान दुर्भाग्य से ऐतिहासिक गांव शेरपुर सेमरा बच्छलपुर आदि गांवों का कृषि भूमि गंगा में समाहित होने लगा और धीरे-धीरे बस्ती के तरफ भी बढ़ता रहा, इसकी चिंता मुझे होने लगी। इस गांव को बचाने हेतु 'गांव बचाओ आंदोलन' का गठन करके उसके बैनर तले एक बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन किया गया। जिसमें 8 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर 2012 तक क्रमिक अनशन के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक धरना प्रदर्शन किया गया।

इसी क्रम में 1 अप्रैल से 8 अप्रैल 2016 तक लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर बलिया से पीएमओ कार्यालय वाराणसी तक साइकिल यात्रा किया। इसी आंदोलन के दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और रीता बहुगुणा जोशी के साथ दर्जनों विभिन्न राजनैतिक पार्टी के नेताओं का समर्थन मिला।

इसी क्रम में प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन के संस्थापक एवं मार्क्सवादी नेता स्वर्गीय आर पी सराफ साहब के संगठन से जुड़ गया। नेपाल, राजस्थान व जम्मू कश्मीर सार्क सम्मेलन में भागीदारी किया और नर्मदा बचाओ आंदोलन, इंसाफ, पानी बचाओ आंदोलन, नियामगिरि बचाओ आंदोलन, कृषि भूमि बचाओ मोर्चा, मैत्री परियोजना, नवलगढ़ का किसान आंदोलन, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, पीयूसीएल आदि के साथ समकालीन तीसरी दुनिया, द हिंदू दैनिक जागरण, सोपान, यथावत, चौथी दुनिया आदि अखबारों एवं पत्रिकाओं में मेरे आंदोलनों के बारे में छपना व मसान जैसी फिल्म में मेरे कामों के बारे में जिक्र करना रहा।

इसी क्रम में 2019 में ऋषिकेश में एक ज्ञान उत्सव कार्यक्रम 15 दिवसीय रखा गया इसमें भी भाग लिया और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति का था लिखना, पढ़ना, घुमक्कड़ी करना तब यही सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा था। इसी कार्यक्रम में देश के प्रख्यात विचारक बजरंग मुनि जी से मुलाकात हुई और किसी को जानने समझने के लिए 15 दिन का समय पर्याप्त होता है मुझे लगा कि मुनि जी देश में एक ईमानदार व्यक्ति हैं जो बिना लाभ कि अपेक्षा के काम कर रहे हैं। 15 दिनों में 30 विषयों पर चर्चा करना और बहस में ईमानदारी बरतना, यह मुझे अच्छा लगा तब से लेकर अब तक मैं उन्हीं के साथ जुड़कर काम कर रहा हूँ। हालांकी मुनि जी के साथ कार्य करते हुए वहां के भी अनुभव बहुत खटे-मीठे रहे, कारण कि वहां पर विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के साथ काम करना टकराव का कारण बनता है। समाज का लेवल एक स्तर का न होना फिर भी बजरंग मुनि बेहद तत्कालीन व दीर्घकालीन विषयों पर अपनी बेबाक टिप्पणी करते रहते हैं और लोक-स्वराज्य के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

प्रेमनाथ गुप्ता 9651742406

ग्राम व पोस्ट- सेमरा, जनपद-गाजीपुर (उ० प्र०) 233227

मुनि जी की टिप्पणी-

प्रेमनाथ गुप्ता जी पूरी ईमानदारी से वामपंथी विचारों के साथ जुड़े रहे हैं। ऋषिकेश के 15 दिवसीय विचार मंथन में भी उन्होंने एक स्वतंत्र विचारक के रूप में हम सब पर एक अच्छी छाप छोड़ी। वैसे तो दुनिया में कम्युनिस्ट सबसे अधिक गंभीर विचारक माने जाते हैं लेकिन कम्युनिस्ट अपने विचारों के साथ कभी कोई समझौता नहीं करते। भले ही दूसरे की बातें कितनी ही तर्कसंगत क्यों नहीं हो, लेकिन मैंने अनुभव किया कि प्रेमनाथ जी अपने विचार मजबूती से रखते थे और दूसरों के विचार भी उतने ही गंभीरता से सुनते थे। यदि कोई दूसरे की बात उन्हें तर्कसंगत लगती थी तो चुप हो जाते थे और कभी-कभी स्वीकार भी कर लेते थे। धीरे-धीरे हम लोगों की संस्था से उनका संपर्क जुड़ता गया और आज तक उसी तरह जुड़ा रहा है। हम लोगों के साथ एक तरफ संघ के अनेक लोग जुड़े हैं दूसरी और अनेक अच्छे गांधीवादी भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में प्रेमनाथ जी का भी जुड़ना हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात रही। उनकी तर्कशक्ति बहुत अच्छी है साथ ही अन्य दक्षिणपंथियों से तालमेल भी अच्छा है। अतः कम्युनिस्ट होते हुए भी व्यवहारिक धरातल पर संघ के लोगों के साथ भी अच्छे व्यवहारिक संबंध बनाए रखना प्रेमनाथ जी से सीखा जा सकता है। मैं प्रेमनाथ जी के साथ जुड़ना अपने जीवन की एक अच्छी उपलब्धि मानता हूँ एक स्वतंत्र एवं निर्भीक व्यक्ति होने के कारण प्रेमनाथ जी हम लोगों के लिए एक धरोहर की तरह हैं, उनकी व्यक्तिगत जीवनी उन्हीं के शब्दों में हमने प्रकाशित की है।

जैसा जिसने देखा : (मुनि जी की जीवन पर)

सफर दर्शन एवं दायित्व

श्रीकांत सिंह पटना बिहार 9431683723

मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान के संस्थापक श्री बजरंग मुनि जी का जन्म एक परंपरागत हिंदू (अग्रवाल) परिवार में 25 दिसंबर 1939 को हुआ था। कहते हैं मॉर्निंग सोज दी डे। अपनी छोटी सी उम्र महज 8 साल का होते होते परंपराओं से आई रूढ़ियों को तोड़ने में इन्हें आनंद की अनुभूति होने लगी। उस समय आरोग्य के लिए अस्पतालों की अपेक्षा ओझा गुणी का समाज में वर्चस्व था। अग्रवाल परिवार में भी ओझैती होता था, जिसे इन्होंने रोका। उसी तरह ताजिया और नमाजी लोगों की दुआ लेने से भी छोटी उम्र में ही उन्होंने इंकार कर दिया। ओझैती की तरह समाज में व्याप्त छुआछूत की प्रथा का भी इन्होंने थोड़ा बड़ा होने पर विरोध करना शुरू कर दिया। इस बार कि इनकी लड़ाई परिवार नहीं समाज से हो गई और इन्हें धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया। धर्म गुरुओं का अंकुश लेने की अपेक्षा इन्होंने ईसाई बनने का निश्चय महज 14 साल की उम्र में ही ठान लिया। एन केन इन्होंने इसाई नहीं बनकर दयानंद जी के आर्य समाज की ओर मुड़ गए।

श्री बजरंग मुनि जी परिवार की रूढ़ियों और समाज की कुरीतियों से लड़ते लड़ते राजनीति की ओर मुड़ गए। डॉ राम मनोहर लोहिया की इस राजनीति को इन्होंने अपने कस्बे रामानुजगंज में स्थापित किया। महज 17 साल की उम्र में ही नगर पालिका का चुनाव मुनि जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी जीत गई और छोटी उम्र में ये स्थापित राजनीतिज्ञ बन गए। बाद में यह नगरपालिका के चेयरमैन भी बने। अत्यावधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री ने जब जय जवान, जय किसान का नारा देश को समर्पित किया तो इन्होंने जमीन खरीद कर खेती करनी शुरू कर दी। और 1996 तक खेती के कार्य से जुड़े रहे। इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल देश पर थोपा तो इन्हें भी सरकार ने जेल में डाल दिया। जेल से निकलने के बाद जनता पार्टी के सरगुजा जिले के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। फिर जनता पार्टी की सरकार बनी और इंदिरा गांधी पुनः मध्यावधि चुनाव के रास्ते सत्ता में आ गईं। जनता पार्टी के टूटने के बाद भाजपा के ये सरगुजा जिले के अध्यक्ष बने। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी भारी बहुमत की सरकार केंद्र में बनाने में सफल हुए। भाजपा की पराजय से मर्माहत श्री बजरंगमुनि जी ने राजनीति को बाय बाय कर लिया।

तब तक पैतालीस वर्षीय बजरंग मुनि जी समाज कार्य के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। शहर के किनारे पहाड़ के नीचे एक छोटा सा कमरा बनाकर रहने लगे और 15 वर्ष तक भारतीय संविधान पर चिंतन मंथन करके 04.11.1999 में भारत के प्रस्तावित संविधान का स्वरूप तैयार कर लिया। नगर पालिका की राजनीति में ये बने रहे। इनका जिज्ञासु और विद्रोही मन

सामने आने वाली हर समस्या और व्यवहार के पीछे के कारणों पर अपनी ठोस, स्पष्ट और व्यवहारिक मत का निर्माण करने लगा। इन्होंने अपराध नियंत्रण और नक्सल आंदोलन दोनों को रामानुजगंज में पनपने नहीं दिया। रामानुजगंज देश का 'नो क्राइम जोन' बन गया। श्री बजरंग मुनि जी जो भी कार्य करते थे उसमें मनोयोग कि प्राणवत उपस्थिति दर्ज हो जाती थी। इन्होंने शुरुआती दिनों से ही बिंदास अंदाज में सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर गांव की सत्ता गांव के हाथ तथा ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान चलाना शुरू कर दिया था। इनका सशक्तिकरण अभियान जिला से निकला और दिल्ली पहुंचा। 5 साल दिल्ली में अपने आंदोलन के लिए समर्थन की तलाश करने के बाद पुनः रामानुजगंज अंबिकापुर सरगुजा में 2009 में लौट आए। उत्तराखंड के ऋषिकेश में इन्होंने ज्ञान केन्द्र की स्थापना की और कोरोना काल में एक ओर जब पूरी दुनिया की चाल स्थगित हो गई तो मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान का गठन कर स्थाई अभियान रायपुर से शुरू किया गया ।

राजनीति धर्म संविधान पर लगातार मीमांसा के माध्यम से इन्होंने प्रयोग और शोध कार्य किया है। हमारी लोकशाही लोक नियंत्रित तंत्र के बदले लोक नियुक्त तंत्र बन गया है। इनकी मान्यता है कि लोक स्वराज्य, अपराध नियंत्रण की गारंटी, श्रम सम्मान और श्रम मूल्य में वृद्धि, आर्थिक असमानता में कमी लाया जाए तथा कॉमन सिविल कोड की सिफारिश होने तक हम सक्रिय रहेंगे। समाजशास्त्र पर इन्होंने अपना वैयक्तिक प्रयोग और शोध कार्य का अंतिम रूप लेकर रायपुर आ गए हैं।

दर्शन और दायित्व

समाज क्यों कमजोर हो रहा है धर्म और राजनीति समाज को सबसे अधिक कमजोर कर रहे हैं। समाज विज्ञान समाज की ज्यामिती तय करता है दूसरी ओर समाजशास्त्रिय विश्लेषण करता है। शोध कार्य की परिणति को समाज तक पहुंचाने के लिए मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान के उपक्रम:-

1. समाज विज्ञान से संबद्ध प्रतिदिन संध्या 8:00 बजे से 9:00 बजे तक 1 घंटे का किसी पूर्व घोषित विषय पर जूम के माध्यम से कार्यक्रम होता है। इस घंटे भर के कार्यक्रम में किसी खास विषय पर संबोधन के बाद प्रश्न उत्तर भी होता है ज्ञानचर्चा द्वारा ज्वलंत मुद्दे का प्रकटन होता है।
2. प्रति रविवार को दिन में 11:00 बजे श्री बजरंग मुनि जी स्वयं अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से 1 घंटे का सार्वजनिक रूप से जूम पर तथा अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर अपने विचार रखते हैं। अगले दिन सोमवार को उसी विषय पर या किसी भी विषय पर 11:00 बजे दिन में ही प्रश्न उत्तर कार्यक्रम भी होता है प्रश्न का उत्तर भी श्री बजरंग मुनि जी ही देते हैं।
3. देशभर में ज्ञानयज्ञ केन्द्र बढ़ाने के लिए संस्थान बढ़ावा देता है।

4. संस्थान का लक्ष्य है कि 500 मार्गदर्शक को तैयार कर स्वतंत्र विचारक के रूप में प्रशिक्षित कर युग धर्म से लैशकर समाज निर्माण के लिए सोच का निर्धारण किया जा सके।
5. वर्ष में 30 अथवा 15 दिन का एक मंथन शिविर आयोजन किया जाएगा, इसका नाम ज्ञान कुंभ है। इस ज्ञान कुंभ में स्वतंत्र रूप से विभिन्न विषयों पर विचार मंथन करके निष्कर्ष निकालने तथा समाज विज्ञान के इस निष्कर्ष को ज्ञानतत्व पाक्षिक पत्रिका तथा अन्य मीडिया माध्यमों से समाज तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। संस्थान वार्षिक ज्ञान कुंभ में विभिन्न जनोपयोगी विषय पर एक प्रस्ताव भी पारित करेगा।
6. संस्थान मंथन एवं शोध प्रबंध तक सीमित है।
7. लोग चाहते हैं कि दुनिया में बढ़ रहे हिंसा और स्वार्थ की प्रवृत्ति पर कैसे नियंत्रण हो। इस नियंत्रण कार्य में यह संस्थान किसी तरह की सक्रिय भागीदारी नहीं निभाना चाहता है। केवल वैचारिक सक्रियता तक सीमित रहेगा।
8. संस्थान किसी तरह का सेवा कार्य नहीं करता है।
9. सामाजिक बदलाव में प्रत्यक्ष सक्रियता से बचना लेकिन वैचारिक सक्रियता में भरपूर सहयोग संस्थान का यात्रा पथ है।

क्रमशः भाग पांच :

भाग 3 : दृश्य एक

(नेताजी, व्यापारी, गुण्डा, धर्म-गुरु, खान-साहब बैठे हैं।)

- धर्मगुरु— नेताजी कल के नाटक में तो कुछ लोग आपकी बहुत बदनामी कर रहे थे। वह भी आपके सामने ही। वह दढ़ियल तो ऐसी बातें बोल रहा था कि मेरा मन करता था कि उसकी दाढ़ी ही नोच लूँ।
- गुण्डा— मन तो मेरा भी ऐसा ही कर रहा था गुरुजी। यदि मैं उठकर एक झापड़ भी मार देता तो उसके प्राण ही निकल जाते।
- खान जी— आप सबको उस दढ़ियल पर ही गुस्सा क्यों आया? जहर तो दूसरे सब के गीतो में मी कम नहीं था। आप सब उस अकेले को इसलिये कोस रहे हैं, क्योंकि वह मुसलमान था।

- धर्मगुरु— आपको बुरा क्यों लगा खान साहब। हम आपको तो कुछ नहीं कह रहे। उसने नेता जी के विषय में ऐसी-ऐसी बातें कही, जो नहीं कहनी चाहिये थी, इसलिये हमने नेताजी का ध्यान दिलाया। यदि आप को बुरा लगे तो हम उसकी प्रशंसा भी करने को तैयार हैं।
- गुण्डा— प्रशंसा की बात करो तुम। मैं तो टिट फोर टैट वाला हूँ। मैं उस दढ़ियल से भी निपट सकता हूँ और अन्य बाकी कवियों से भी। और यदि जरूरत पड़े तो इस खान की औलाद से भी निपट सकता हूँ।
- नेता— शान्त रहो भाई। आप लोग क्यों लड़ते हो। कल जो कविताएँ सुना रहे थे ये मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे। उन्हें तो हम सम्मानित भी करते हैं और इनाम भी देते हैं। उनकी यह आलोचना ही तो हमारी जान है।
- धर्मगुरु— यह कैसे नेता जी?
- नेताजी— हमें जो बात समाज को कहनी होती है वह इन्हीं के माध्यम से तो कहनी पड़ती है। हम सीधे तो कह नहीं सकते। गरीब-अमीर, हिन्दू-मुसलमान, महिला-पुरुष, किसान-मजदूर में समाज को बांटना है तो कौन बांटेंगे। वह काम यही लोग करेंगे। ये लोग गांव-गांव धूम-धूम कर महिला शोषित, गरीब, भूखा, आदिवासी, पिछड़ा जैसी भावनाएँ भरते हैं तब समाज में वर्ग-विद्वेष पैदा होता है और वही प्रचार हमारी पूंजी बनता है। जिसके बदले में हम उन्हें पुरस्कृत करते हैं।
- गुण्डा— तो इसके लिये आपको गाली देने की जरूरत क्यों है? वह काम तो बिना गाली दिये भी कर सकते हैं।
- नेताजी— क्या बिगड़ गया हमारा उनकी कविता से उनकी आलोचना से समाज में यह संदेश जाता है कि हमारी उनकी कोई साठ-गांठ नहीं। हम तो रोज ही ऐसी आलोचनाएँ सुनते रहते हैं। आप ही लोग कई बार मेरी आलोचना करने लगते हैं, तो बताइये कि क्या मैं कभी बुरा मानता हूँ?
- सेठजी— भाई नेताजी, आपकी माया आप ही जानें। हमें तो आपकी अकल पर विश्वास है। इसके आगे हम कुछ नहीं जानते।

भाग-तीन : दृश्य दो

- धर्मगुरु— कल की बात मेरी समझ में नहीं आई नेता जी ।
- नेता— सब बात आप ही समझ लेंगे गुरुजी तो हम लोग यहाँ काहे को बैठे हैं? (सब लोग हंस पड़ते हैं। धर्म गुरु झोंप कर)
- धर्मगुरु— मजाक मत करो भाई। मुझे समझने दो कि नेताजी सबको मनमाना धन बांटते रहते हैं। कवि, पत्रकार सब इनके आगे-पीछे घूमते रहते हैं। जरा सोचो कि अभी कॉमन बेल्थ खेल में एक गायक को एक गीत गाने के लिए नेता जी ने पांच करोड़ रूपया दे दिया।
- सेठ— (आश्चर्य से) पांच करोड़ क्या, यह सच है नेता जी।
- नेता जी— अरे भाई! तुम क्यों इतने दुखी होते हो? मैं तो तुम्हें दस करोड़ दिलवा दूँ पर तुम में लेने की कला हो तब न। तुम तो सिर्फ खाना और पचाना जानते हो।
- धर्मगुरु— मैं फिर कहता हूँ कि आप लोग मजाक मत करिये। मुझे बताइये कि यह करोड़ो करोड़ का धन आता कहाँ से है?
- नेता जी— यह राज की बात है गुरुजी। हम यह बात किसी को नहीं बताते।
- धर्म गुरुजी— मुझे तो आप जरूर बताइये।
- नेता जी— गुरुजी हम आज सबके खाने-पीने से लेकर मरने तक की हर वस्तु पर टैक्स लगाते हैं। उस टैक्स का आप सबको पता ही नहीं चल पाता। यदि कुछ कम पड़ा तो कभी कोई चीज विदेश भेज दी और कुछ माह के बाद वही चीज फिर वापस मंगा ली। अच्छा हो कि ज्यादा मत पूछिये।
- गुण्डा— ठीक तो कह रहे हैं नेता जी। हम इन सब मामलों में इतना क्यों समझें।
- धर्मगुरु— रुक रे। थोड़ा सा तो जानने दे। नेता जी तानाशाह तो हैं नहीं। जब ये ऐसा करते हैं तो हल्ला क्यों नहीं होता।
- नेता— हल्ला करने वाला कौन है गुरुजी। न्यायपालिका कभी टैक्स वृद्धि के खिलाफ नहीं बोलती। उसे भी तो मनमाना अपना वेतन बढ़ाना है। सरकारी कर्मचारी को बोलना ही नहीं। मीडिया कर्मी और सामाजिक संस्थाएँ बोल

सकते थे तो उनका मुँह हम हमेशा बन्द रखते है। आप नहीं जानते गुरु जी कि अखबारों को हम सरकारी खजाने से कितना पैसा देते हैं।

धर्मगुरु—

कितना देते हैं?

नेता जी—

बताना बेकार है। हम उतना देते हैं जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते।

गुण्डा—

मैं तो कब से कह रहा हूँ कि हम नेताजी पर विश्वास करें, बहस न करें। ये गुरुजी बेकार पूछते रहते हैं।

नेता जी—

कोई बात नहीं, चर्चा करने में कोई हर्ज नहीं।

दृश्य तीन

(नेता, व्यापारी धर्मगुरु, गुण्डा बैठे हैं)

धर्मगुरु—

नेताजी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी आप पुरी तरह मनमानी कर लेते हैं आखिर इसका राज क्या है। और जनता आखिर आपको रोक क्यों नहीं पाती।

नेता जी—

रोकेंगे कैसे गुरुजी। अगर आपने एक बार वोट दे दिया तो बस 5 साल तक आराम कीजिये। आपको चुनाव में वोट देने के अलावा किसी भी अन्य मामले में अधिकार ही क्या है?

व्यापारी—

अधिकार क्यों नहीं? ये जो हमारे पास कई तरह के अधिकार हैं, वे क्या हैं?

नेता जी—

तुम बहुत भोले हो सेठ। तुम्हारे पास सिर्फ वही अधिकार है जो हमने दिये हैं या छोड़ रखे हैं इसके अलावा तुम्हारे पास एक भी अधिकार नहीं है। जो भी तुम देख रहे हो वे अधिकार भी, हम कभी भी जनहित में वापस ले सकते हैं।

गुण्डा—

आप जनहित में ही तो वापस ले सकते हैं। बिना जनहित के तो आप वापस नहीं ले सकते।

नेता जी—

और जनहित की व्याख्या कौन करेगा? हम। हम जिसे जनहित कह दें, वही जनहित है। चाहे वह वास्तव में जनहित हो या नहीं।

- गुण्डा— तो क्या संविधान आपको ऐसी मनमानी से नहीं रोक सकता।
- नेता जी— संविधान कुछ नहीं कर सकता। यदि संविधान कहीं रोकेगा तो हम संविधान में संशोधन करके उस रुकावट को दूर कर लेंगे।
- धर्मगुरु— ऐसा कैसे संभव है नेताजी कि आप संविधान में मनमाने संशोधन भी कर लें और जनता आपको रोक ही न सके।
- नेता जी— यही तो है भारत का लोकतंत्र। यहां लोक को नाबालिग और तंत्र को संरक्षक माना गया है, मैनेजर नहीं।
- धर्मगुरु— ऐसा संविधान बनाते समय किसी ने आपको रोका क्यों नहीं।
- नेता— रोकता कौन? बूढ़ा गांधी मारा जा चुका था, अन्य सबको रोजी-रोटी की चिन्ता थी। हमने मनमाना संविधान लिख लिया
- धर्मगुरु— हम कब बालिग होंगे नेता जी।
- नेता— फिर कोई गाँधी पैदा होगा और क्रान्ति करेगा उस दिन की प्रतीक्षा करो। तब तक जितना लूट सको हम लोगों के साथ मिलकर लूटो। तुम्हारे लूट में तो संविधान आड़े नहीं आ रहा। ध्यान रखना कि लूट का माल बंटना चाहिये अन्यथा पेट फट गया तो मैं दोषी नहीं।

दृश्य चार

(पण्डित जी कुछ लोगों के साथ बैठे हैं)

- गणेश— पण्डित जी कल नेता जो संविधान की बात कर रहे थे। जब नेता लोगों ने मनमाना संविधान बना लिया है और इसकी आड़ में मनमानी कर रहे हैं तो हम सब मिलकर नया संविधान बना ले।
- पण्डित जी— रामानुजगंज में कन्हर किनारे देश भर के जाने-माने विद्वानों ने आकर सालों तक विचार मंथन कर लोक स्वराज के आदर्शों के अनुरूप एक आदर्श संविधान की रूपरेखा तैयार किया है। अब इसके पक्ष में जनमत जागृत हो जाएं तब इसे लागू किया जा सकता है।

रमेश— उस संविधान पर आप एक गीत सुनाते हैं, वही गीत सुनाईये ना!

पण्डित जी— रमेश एक नहीं दो गीत सुन लो

गीत (1) नया विधान बनायेंगे हम नया विधान बनायेंगे।

नेता, कर, कानून बदलकर भ्रष्टाचार मिटायेंगे।।

मूलभूत अधिकारों का पूरा-पूरा हो संरक्षण।

जीने का अभिव्यक्ति और सम्पत्ति का होगा आरक्षण।।

एक देश है एक संहिता सबके लिये बनायेंगे।

नेता, कर, कानून बदल कर भ्रष्टाचार मिटायेंगे।।

श्रम का मूल्य बढ़ेगा इसमें तब भागेगी बेकारी।

काम मिले हर हाथ को अपनी ऐसी होगी तैयारी।।

शोषण भ्रष्टाचार मिटाकर खुशहाली हम लायेंगे।

नेता, कर, कानून बदल कर भ्रष्टाचार मिटायेंगे।।

एक बिन्दु कर का आरोपण करना है इसमें भाई।।

उत्पादन बढ़ने से ही तो घट सकती है महंगाई।।

सत्ता सिमट नहीं पाये यह प्रावधान हम लायेंगे।

नेता, कर, कानून बदल कर भ्रष्टाचार मिटायेंगे।।

जुर्म नियंत्रण की गारंटी देगी अब सरकार यहाँ।

अमन चैन हो पनप न पाये, कोई भ्रष्टाचार यहाँ।।

एक देश हम एक यहाँ पर सबको गले लगायेंगे।

नेता, कर, कानून बदल कर भ्रष्टाचार मिटायेंगे ।।

हम नया विधान.....

(2) यह अभिनव भारत संविधान श्रम आधारित जीवन बितान ।

परिवार पुंज की नई विभा

सम्यक स्वराज की प्रखर प्रभा

भयमुक्त व्यवस्था प्रावधान । यह अभिनय...

अमूल कान्ति का प्रथम चरण,

अपराध वृत्ति का त्वरित क्षरण,

शाश्वत स्वतंत्रता महागान । यह अभिनव...

यह ज्ञानयज्ञ की नव ज्वाला,

यह ज्ञान तत्व क्षण मतवाला

बजरंगी पोरुष दीप्तवान । यह अभिनय...

यह दर्पण युग का चिंतन का

प्रेरक समाज परिवर्तन का

जीवन आर्थिकी-प्राणवान । यह अभिनव...

सज्जनता का यह विजय घोष,

वैचारिक मंथन – अमृत कोष.

छल छद्म नीति का तिरोधान । यह अभिनव...

है नव व्यवस्था सम्बन्धों की.

यह नवरचना अनुबन्धों की.

रामानुज नभ का उदित भान । यह अभिनव...

यह अभिनव भारत— संविधान ।

क्रमशः...

भावी भारत का संविधान	वर्तमान संविधान की खामियों एवं उसके निराकरण का सुंदर विश्लेषण करती, देशभर के तमाम विद्वानों एवं बुद्धिजीवियों के साथ निरंतर 20 वर्षों तक शोध के उपरांत लिखी इस पुस्तक की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक तीन बार इसे अलग-अलग संस्थानों के द्वारा छपवाया जा चुका है।
सहयोग राशि ₹50	
मुनि मंथन निष्कर्ष	श्रद्धेय मुनि जी के 70 वर्षों तक देशभर के मूर्धन्य विद्वानों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर 'विचार मंथन' के निष्कर्षों को सूत्र रूप में समेटे, इस पुस्तक को तैयार होने के बाद भी 4 वर्षों तक इसमें संकलित सिद्धांतों पर देशव्यापी विमर्श के उपरांत यह पुस्तक आपके सामने आ पाई है।
सहयोग राशि ₹50	
मौलिक व्यवस्था का विचार	यह पुस्तक 'व्यवस्था' पर तमाम वैश्विक संदर्भों के आधार पर गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। समाज के प्रत्येक इकाई के स्वतंत्रता सुरक्षा के साथ पोषण की गारंटी पर एक रिसर्च मॉडल के रूप में है यह पुस्तक है।
सहयोग राशि ₹50	
बस अब बहुत हो चुका	व्यवस्था की खामियों एवं उसके समाधान के लिए आवश्यक प्रभावी विचार एवं उद्दीपक ऊर्जा को अपने में समेटे इस पुस्तक को लिखा है अशोक गाड़िया जी ने। यह पुस्तक 'व्यवस्था परिवर्तन' के वैचारिक पृष्ठभूमि को तैयार करती है।
सहयोग राशि ₹50	
मुनि मंथन	श्रद्धेय मुनि जी के विचारों को गागर में सागर सा अपने में समेटे सीधे सरल समझ में आने वाली शैली में लिखी यह पुस्तक, एक रंगकर्मी निर्देशक निर्माता एवं लेखक आनंद गुप्ता जी की रचना है। शराफत से समझदारी की ओर जाने वाले मार्ग का पथ प्रदर्शक के रूप में या पुस्तक पठनीय है।
सहयोग राशि ₹10	
रामानुजगंज एक आवाज	अपने में श्रद्धेय बजरंग मुनि जी के जीवन की झलक समेटे इस पुस्तक को श्री नरेंद्र जी ने नाटक की शैली में लिखा है। सामाजिक समस्याओं एवं उसके निराकरण पर पात्रों के माध्यम से यथार्थ को नए रंग रोगन में प्रस्तुत करती है यह पुस्तक।
सहयोग राशि ₹10	
एक ही रास्ता	नुककड़ नाटक गीत संगीत जैसे सांस्कृतिक विधाओं से लोगों को समझदार बनने की प्रेरणा देने के लिए मुनि जी ने अपनी युवावस्था से ही प्रयास शुरू कर दिए थे। उन तमाम गीतों एवं दृश्यों को नाटक के रूप में इस पुस्तक में लिपिबद्ध किया गया है।
सहयोग राशि ₹10	
इन पुस्तकों का एक सेट मंगाने के लिए मात्र ₹100 का आर्थिक सहयोग और अतिरिक्त डाक खर्च देना होगा। इन पुस्तकों को एक साथ मंगाने के लिए सम्पर्क करें—8318621282, 7869250001, 9617079344	